राजपूतों का प्रशासन

- Mamta Rani
Guest Assistant Professor.
Department of History.
SNSRKS COLLEGE,
SAHARSA.

08 - 10 - 2020.

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1. Date: / /

राजपूतों का प्रशासन

राजपूतकालीन भारत में राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। शासन के क्षेत्र में सामंतवाद का पूर्ण विकास राजपूत युग में ही दिखाई देता है। राजपूतों का संपूर्ण राज्य अनेक छोटी-2 जागीरों में विभक्त था। प्रत्येक जागीर का प्रशासन एक सामंत के हाथ में होता था। जो प्रायः राजा के कुल से संबंधित होता था।

सामंत महाराज, महासामंत महासामंताधिपति, मंडलेश्वर जैसे विविध सामंतों का उल्लेख मिलता है जो क्रमशः एक लाख, पचास हजार, बीस हजार, दस हजार, पाँच हजार तथा हजार गांव के स्वामी थे।

इस प्रकार राजपूत शासक अपनी प्रजा पर शासन न करके सामंतों पर शासन किया करते थे।

सामंतों के पास अपने न्यायालय तथा मंत्रिपरिषद होती थी। सामंतो के पास अपने न्यायालय तथा मंत्रि परिषद होती थी। सामंत लोग समय समय पर अपने राजा के दरबार में उपस्थित होकर भेंट - उपहार आदि दिया करते थे।

जब राजा का राज्याभिषेक होता था, तो सामंत की उपस्थिति अवश्यक होती थी। सामंतों के पास अपनी अलग - 2 सेना होती थी। कुछ शक्तिशाली सामंत अपने अधीन कई उपसामंत भी रखते थे।

छोटे सामंत राजा, ठाकुर भोक्ता आदि उपाधियां ग्रहण करते थे। इस प्रकार राज्य की वास्तविक शक्ति और सुरक्षा की जिम्मेदारी सामंतों पर ही होती थी। सामंतों में राज-भक्ति की भावना बड़ी प्रबल होती थी। वे अपने स्वामी के लिये सर्व--स्व बलिदान करने के लिये सदैव तत्पर रहते थे। सामंतों की संख्या

में दृष्टि से सामान्य जनता का जीवन कष्टमय हो गया था। वे जनता का मनमाने ढंग से शोषण करते थे। इस युग के सभी राजा निरंकुश हो रहे थे।

राजपूत युग में वंशानुगत राजतंत्र शासन पद्धति थी। राजा की स्थिति सर्वोपरि होती थी। न्याय तथा सेना सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा की सम्मानपरक उपाधियां परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां होती थी। मनु का अनुकरण करते हुये लक्ष्मीधर ने अपने ग्रंथ कृत्यकल्पतरु में राजा को लोक-पालों - इंद्र, वरुण अग्नि, वायु, मित्र आदि के अंश से निर्मित बताया है।

इस काल के व्यवस्था - स्थापकारों ने अन्यायी एवं अत्याचारी राजा को प्रजा द्वारा मार डालने का भी विधान किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा

प्रजारक्षक तथा प्रजापालक होता था। राजा निरंकुश होता था, लेकिन व्यवहार में धर्म तथा लोक परंपराओं द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता था

राजपूतों के शासन काल में राजा अपने कुल तथा परिवार के व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन करता था। साधारण जनता शासन के कार्यों में भाग नहीं लेती थी तथा राजनैतिक विषयों के प्रति भी उदासीन ही रहती थी। जिसके परिणामस्वरुप राजपूत युग में मंत्रिपरिषद का महत्व घट गया था।

राजपूत युग में लिखे गये ग्रंथों से पता चलता है, कि राजाओं द्वारा मंत्रियों को दंडित किया जाता था।

प्रबंधचिंतामणि तथा दशकुमारचरित से पता चलता है कि राजा अपने मंत्रियों के नाक-कान काट लेते अथवा उन्हें अंधा बना देते थे।

जागीदारी प्रथा दोषपूर्ण थी। इससे व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला। किसी एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के सभी व्यक्तियों को संगठित होने के लिये यह बाधा थी। जागीरदारी प्रथा के कारण सभी कुछ राजा पर निर्भर था।

निष्कर्ष :-

उपर्युक्त विवरण से यह भली-भांति स्पष्ट है कि राजपूत काल में प्रशासन का ढांचा ही बदल गया था। किन्तु ग्रामीण जीवन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा जान पड़ता है। ग्रामीण अब भी पंचायतों पर ही निर्भर रहता था। ग्राम 'प्रशासन' की सबसे छोटी इकाई होती थी। मुखिया और पटवारी अपने ग्रामों में भूमि-कर एकत्रित करते थे।

//.